

फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर

द्वारा

रिवाल्वर - बिक्री के नियम एवं शर्तें

- आदेश केवल निर्धारित प्रपत्र (फारमेट) में ही स्वीकार किए जाएंगे।
- उन भारतीय नागरिकों के आदेशों को ही पंजीकृत किया जाएगा जिनके पास यथोचित सिविल प्राधिकारी द्वारा जारी एन.पी. बोर के लिए वैध शस्त्र लाइसेन्स होंगे। (आवेदन प्रपत्र के साथ शस्त्र लाइसेन्स की सत्यापित प्रति तथा अपना पता लिखा एक पंजीकृत लिफाफा भी होना चाहिए)।
- एक आवेदक एक समय में केवल एक रिवाल्वर ही पंजीकृत (बुक) करा सकता है।
- आवेदन प्रपत्र (फार्म) के साथ कानपुर में भुगतान योग्य महाप्रबन्धक, फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर के पक्ष में बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से रु. 6,000/- क अग्रिम भुगतान करना होगा। आदेश की पूर्ति/पूर्णता होने पर अग्रिम जमा राशि को अन्तिम बिल में समायोजित कर दिया जायेगा। ग्राहक के अनुरोध पर आदेश को रद्द/निरस्त करने की स्थिति में रु. 500/- सेवा/निरस्तीकरण शुल्क के रूप में काट लिया जायेगा।
- अपूर्ण प्रपत्र (फार्म) को सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा। महाप्रबन्धक, फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए, चाहे जो भी हो और बिना कोई सूचना दिए किसी भी आदेश को पंजीकृत (बुक) करने से मना कर सकते हैं।
- आवृत्तित प्राथमिकता— क्रमांक के सुनिश्चित अनुक्रम में ही उत्पादन/भंडार की स्थिति के अनुसार ग्राहकों को उनके आदेश से सम्बन्धित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए सलाह—पत्र जारी किए जाएंगे। जो औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं वे नीचे दी गई हैं :—
यदि नियम एवं शर्तें स्वीकार्य है तो ग्राहक स्वीकृत—पत्र को विधिवत भरकर भुगतान तथा अन्य निर्धारित दस्तावेजों अर्थात् (1) सलाह—पत्र में संकेतिक राशि के लिए महाप्रबन्धक, फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर (जी.एम./एफ.जी.के.) के पक्ष में रेकित/बैंक ड्राफ्ट (2) रिवाल्वर की सुपुर्दगी के समय वैध रिवाल्वर को मूल शस्त्र लाइसेन्स और (3) शस्त्र नियम 1962 के अन्तर्गत अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेज, के साथ लौटा दें।
- सलाह—पत्र में निर्धारित समय—सीमामें किसी एक या उपर्युक्त सभी औपचारिकताओं के अनुपालन न कर पाने पर आदेश स्वतः रद्द माना जाएगा और अग्रिम जमाराशि में से रु. 500/- सेवा/निरस्तीकरण शुल्क के रूप में काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी तथापि महाप्रबन्धक, फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर के पास यह अधिकार सुरक्षित है। कि वे अपने विवेकानुसार उपर्युक्त समय—समी को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाने से मना कर सकते हैं।
- वास्तविक आपूर्ति की तिथि को लागू मूल्य/शुल्क/कर लागू होंगे/लिए जाएंगे। आपूर्ति की तिथि से पूर्व की तिथि से प्रभावी किन्तु निर्माणी की जानकारी में बाद में आने पर ग्राहक को कर/शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि या नये चुंगी कर को भी भुगतान मांग से एक माह के अन्दर करना होगा।
- प्राथमिकता क्रमांक के अनुक्रम में आपूर्ति करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे किन्तु इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है। आपूर्ति के अनुक्रम में किसी परिवर्तन के लिए, इसके लिए चाहे जो भी कारण हो, कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- विलम्ब से आदेश निष्पादित होने के कारण किसी क्षति या नुकसान की मांग के दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- डाक में विलम्ब के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाएगी।
- किसी भी आदेश को बिना कोई कारण बताए और बिना पूर्व सूचना दिए निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- निर्माणी को बिए गए आदेश के साथ प्राप्त अग्रिम या पूर्ण भुगतान पर क्षतिपूर्ति/ब्याज के लिए किसी भी कारण से चाहे जो भी हो, कोई दायित्व स्वीकार नहीं होता है।
- इसके पूर्व जो भी उल्लेख किया गया है उन सब के होते हुए भी, अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे अपने विवेकाधिकार के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग—स्वायत्त निकाय — व्यक्ति को बिना बारी के रिवाल्वर बेच सकते हैं।
- किसी भी कारण से वह चाहे जो हो बिका हुआ रिवाल्वर न तो वापस लिया जाएगा और न ही बदला जाएगा।
- बिक्री के नियम एवं शर्तों में जहाँ कुछ अन्यथा दिया हो, उन्हें छोड़कर, इस संविदा में उठने वाले सभी प्रश्नों एवं विवादों को अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के पास ही विचारार्थ भेजा जाएगा। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ एक सरकारी कर्मचारी है। एक मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम होगा और इस संविदा के सभी पक्षों पर बाध्यकर होगा। उपर्युक्त के साथ—साथ विवाचन एवं समझौता अधिनियम 1996 और वर्तमान में उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को भी इस वाक्यांश के अन्तर्गत की गई विवाचन कार्यवाही पर लागू माना जाएगा।
- बिक्री की उपर्युक्त प्रणाली को अध्यक्ष, आयुध निर्माणी बोर्ड के विवेकानुसार किसी भी समय बिना किसी सूचना के बदला एवं संशोधित किया जा सकता है।
- खरीद—आपूर्ति की तिथि से पाँच वर्षों तक रिवाल्वर को बेचा/हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।
- सभी विवादों का निपटारा केवल कानपुर के अधिकार क्षेत्र में होगा।
- भरे गए प्रपत्र (फार्म) केवल पंजीकृत डाक से या स्वयं ग्राहक द्वारा दस्ती तौर पर फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर के सिविल ट्रेड (सी. टी.) अनुभाग में स्वीकार किए जाते हैं।